प्रेस विज्ञप्ति
02.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सोना पप्पू, शांतनु सिन्हा बिस्वास, पूर्व डीसीपी, जय एस. कामदार एवं अन्य के विरुद्ध अन्वेषणाधीन धन शोधन मामले में 22.05.2026 को कोलकाता एवं मुर्शिदाबाद स्थित 13 परिसरों पर तलाशी की कार्रवाई की। तलाशी की कार्रवाई में शांतनु सिन्हा बिस्वास, मोहम्मद अली, रुहुल अमीन अली शाह, अतुल कटारिया एवं अन्य के परिसर शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 17 लाख रुपये की नकदी, स्वर्ण आभूषण, भारत तथा दुबई में स्थित संपत्तियों में निवेश से संबंधित अपराध संकेती दस्तावेजी साक्ष्य तथा डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

इससे पूर्व, ईडी ने 01.04.2026, 19.04.2026 तथा 26.04.2026 को पूर्व पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास, जय एस. कामदार, सोना पप्पू आदि के आवासीय परिसर सहित कोलकाता एवं आसपास के क्षेत्रों में अनेक परिसरों पर तलाशी की कार्रवाई की थी तथा अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 1.47 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की थी। ईडी ने इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के अंतर्गत जय एस. कामदार, शांतनु सिन्हा बिस्वास तथा बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को गिरफ्तार भी किया था। तीनों अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

ईडी ने इस मामले में बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू एवं अन्य के विरुद्ध जांच की शुरुआत पश्चिम बंगाल पुलिस/कोलकाता पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज अनेक प्राथमिकी के आधार पर की। बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू सहित अभियुक्तगण पश्चिम बंगाल राज्य में संगठित आपराधिक सिंडिकेट गतिविधियों में संलिप्त थे तथा सिंडिकेट संचालन के माध्यम से अवैध रूप से भारी मात्रा में धन अर्जित कर रहे थे।

22.05.2026 को की गई तलाशी के दौरान भारत तथा दुबई में स्थित संपत्तियों में किए गए निवेश से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य का पता लगाया गया तथा उन्हें जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त, तलाशी के दौरान अवैध हवाला हस्तांतरण से संबंधित अपराध संकेती डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए।

पीएमएलए के अंतर्गत ईडी की जांच में अब तक यह उजागर हुआ है कि अपराध से अर्जित आय का सृजन बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू, जय एस. कामदार तथा

उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से जबरन वसूली, अचल संपत्तियों पर अवैध कब्जा तथा अनधिकृत भवन निर्माण सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों के जरिए किया गया था।

आगे की जांच जारी है।